पत्र संख्या– 15/डी0 एल0 ए0 पटना (रा0उ0प0)–13/13 – 1691/रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना, तारीखः- 28-06-13

सं...रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–नादपुर, थाना नं0–32, सर्वे थाना–मसौढ़ी, परगना–फुलवारी, जिला–पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–नादपुर, थाना नं०–32के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश–3.405 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या–229 अंश, 232 अंश, 233 अंश एवं 233/470 अंश है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है–

उत्तर	:	खेसरा संख्या–232 अंश एवं 229 अंश
पूरब	:	खेसरा संख्या–234 अंश एवं 236 अंश
दक्षिण	:	खेसरा संख्या–231 अंश, 232 अंश, 233 अंश एवं 470 अंश
पश्चिम	:	खेसरा संख्या–231 अंश

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे **उप महाप्रबंधक (तकनीकी), परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिहार स्टेट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, बिहारशरीफ**, के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के उपबंध लागू नहीं होगें।

समाहर्त्ता
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के उप **सचिव**

E/BSRDC/BAKAST ONLY/ADHISOOCHNA

ज्ञापांक संख्या– 15/डी0 एल0 ए0 पटना (रा0उ0प0)–13/13 दिनांक–

ज्ञापांक सं0– 1691/रा0, दिनांक:- 28-06-13

1. प्रतिलिपि तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदा0, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियां इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

28/6/13

सरकार के अपर सचिव।